न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर ﴾ म.प्र. ﴿

रिवीजनक्रमांक:-

प्रस्तुति दिनांक:- [redacted]

रामचरण उम्र 80 वर्ष ﴾ फौत ﴿ वल्द देवीप्रसाद पटैल

विधिक वारसान:- I/निगरानी/दमोह/भू.रा.सं/2017/3383

माधव प्रसाद पटैल﴾पुत्र﴿ उम्र.52. वर्ष वल्द स्व. रामचरण पटैल

साकिन जटाशंकर एवं कंकाली माता मंदिर के बीच दमोह तह.व जिला

CF - 29.9.17

दमोह ﴾ म.प्र. ﴿

---- रिवीजनकर्ता

बनाम

श्री ... द्वारा आज दि 18.9.17 को प्रस्तुत 18.9.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मध्यप्रदेश शासन

---- उत्तरवादीपक्ष

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा:- 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह 2 तहसील व जिला दमोह द्वारा रा.प्र.क्र. 18अ/12वर्ष 2016-17 में किये गये अविधिक सीमांकन अभिप्रमाणित आदेश दिनांक 30.06.2017 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर उद्भूत ...

18/9/17

महोदय,

रिवीजनकर्ता प्रार्थना करता है :-

18/9/17

अ. आवेदक/रिवीजनकर्ता का संक्षिप्त में राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष प्रकरण इस प्रकार से था कि मौजा दमोह खास प.ह.नं.16 की कृषि भूमि आवेदक एवं उसके भाई इल्ले ने उसके पूर्व मालिक काशीराम भगवानदास ,हरप्रसाद, हजारी ,जानकी,सभी आत्मज नन्हेलाल राय साकिन दमोह के खसरा नं. 1386/3 के कुल रकबा 8 एकड़ में से रकबा 2.85 याने कि 1.152 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड

माधव प्रसाद पटैल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3383

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/12/2018	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरीक्षण राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन एवं पुष्टीकरण आदेश दिनांक 30-6-17 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अधीन प्रस्तुत किया गया है। 2/ इस प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई के समय शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही या आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक संहिता की धारा 11 के अधीन राजस्व अधिकारी नहीं है। उपर्युक्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण प्रशासकीय सदस्य श्री एम.गोपाल रेड्डी द्वारा निम्न तीन प्रश्नों का विनिश्चयन खण्डपीठ द्वारा किए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय की ओर रिफरेंश किया गया। 1. क्या राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया गया सीमांकन आदेश क्या तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन आदेश समझा जायेगा ? 2. यदि राजस्व निरीक्षक द्वारा ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया गया सीमांकन आदेश तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन आदेश माना जाता है, तब क्या संहिता की धारा-11 के अधीन राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी न होने के कारण उसके द्वारा किए गए सीमांकन आदेश के विरुद्ध संहिता के उपबंधों के अधीन अपील या पुनरीक्षण चलाने योग्य होगा? 3. क्या संहिता की धारा-129 के अधीन किया गया सीमांकन आदेश या प्रशासनिक कार्यवाही माने जाने पर भी संहिता के उपबंधों के अधीन अपील या पुनरीक्षण चलाने योग्य होगा ?	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ता
	3/ उपर्युक्त प्रश्नों पर अभिमत हेतु यह प्रकरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं न्यायमित्र के रूप में उपस्थित अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किये। हमारे द्वारा रिफरेंश किए गए उपर्युकत तीनों प्रश्नों पर अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरता पूर्वक मनन किया गया। चूंकि म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सीमांकन आदेश एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध निगरानी के अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अब उक्त बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः यह प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित न्यायालय में भेजा जाए। **(एस0एस0अली)** **सदस्य** **(एम0गोपाल रेड्डी)** **प्रशा0 सदस्य**	